न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 141/2018
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

ताराचन्द पुत्र जीसुखराम जाति अराई निवासी मानकसर (फौत)
1/1–बाबूसिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
1/2–भूरसिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
1/3–मुखत्यारसिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
1/4–कशमीरसिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
1/5–सुखवन्त कौर पुत्री श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
1/6–कैलासो देवी पुत्री श्री ताराचन्द जाति अराई निवासी मानकसर

प्रार्थीगण

बनाम

1–बन्तासिंह पुत्र हरभजसिंह जाति अराई निवासी मानकसर (फौत)
1/1–प्यारासिंह पुत्र हरभजसिंह जाति अराई निवासी मानकसर (भाई)
1/2 जंगीरसिंह पुत्र हरभजसिंह जाति अराई निवासी मानकसर (भाई)
1/3–शकुन्तला पुत्री हरभजसिंह पत्नी सरुपराम जाति अराई निवासी मुनक जिला संगरुर (बहन)
1/4 प्यारी बाई पुत्री हरभजसिंह पत्नी सधुसिंह जाति अराई निवासी मानकसर (बहन)
1/5 शान्ति पुत्री हरभजसिंह पत्नी मखनसिंह जाति अराई निवासी रामपुरा गुजरा तहसील मुनक जिला संगरुर (बहन)
1/6–रामधारीसिंह पुत्र हरभजसिंह जाति अराई निवासी मानकर (भाई) फौत
1/6/1–बालादेवी पत्नी रामधारीसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
1/6/2–अमनसिंह पुत्र रामधारीसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
1/6/3–मोंटीसिंह पुत्र रामधारीसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
1/6/4–डिम्पल पुत्री रामधारीसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
2–बिरखसिंह पुत्र आशाराम जाति अराई निवासी मानकसर
3–तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

यह प्रकरण माननीय न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ से रिमाण्ड होकर विचारधीन है तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चक नं. 18 एम.के.एस. खाता सं. 36/36 प.नं. 161/234 मु.नं. 53 किला नं. 1 2 14, 17, 18, 23, 24/1.771 है। व प.नं. 161/235 मु.नं. 58 किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 23 = 2.024 है। कुल 3.795 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी हमराह प्रार्थना–पत्र है। यह कि प्रार्थी को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतू कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अब तक प.नं. 161/234 को पत्थर लाईन

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्थर लाईन पर स्वीकृत शुदा रास्ता से किला नं. 4 व 7 मे से होकर अपनी कृषि भूमि पर अस्थाई रूप से आता जाता रहा हूं किन्तु उक्त अस्थाई रास्ता अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया है इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि में आने जाने हेतू कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि से आने जाने व कृषि उपज व कृषि उपकरण, लाने ले जाने हेतू कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण काफी परेशानी होती है इस कारण स्वीकृत रास्ता जो पत्थर लाईन पर बना हुआ है उससे अपनी कृषि भूमि में जाने हेतू चक 18 एम.के.एस. प.नं. 161/234 मु.नं. 53 के किला नं. 4 व 7 में से 1–1 बिस्वा स्वीकृत करवाना चाहता है सांझा खाता में मौका पर उक्त किला नं. 4 बन्ता सिंह व किला नं. 7 बिरख सिंह अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त में है प्रार्थी उक्त किला नं. 4 व 7 से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थीगण को कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि अथवा बाजार भाव से कीमत अदा करने हेतू तत्पर व तैयार है। यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि आने जाने व अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने व कृषि उपकरण अपनी कृषि भूमि तक लाने ले जाने का कानूनी अधिकारी है यदि प्रार्थी का उक्त किलो में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने से वंचित रह जावेगा। यह कि प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता स्वीकृत हेतू है अतः 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो काबिल समायत अदालत वाला है व अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि चक नं. 18 एम.के.एस. प.नं. 161/234 के मु. नं. 53 के किला नं. 4 व 7 में से 1–1 बिस्वा बतौर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/2 ता 1/5 , 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही जवाब मानने के कथन किये। अप्रार्थी संख्या 1/6/1 ता 1/6/4 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1114 दिनांक 26.03.2025 द्वारा चक 18 एमकेएस प.न. 161/234 मु. न. 53 के किला नं. 3/2, 4/2, 5/2 में से होते हुए किला नम्बर 4/1 व किला नं. 7 के पूर्वी पासे पर उतर से दक्षिण होते हुए किला नम्बर 14 में प्रेवश करने पर प्रार्थीगण को आसानी रहती है एव प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 18 एमकेएस प.न. 161/234 मु.न. 53 किला न. 4/1 व 7 के पूर्वी पासे पर उतर से दक्षिण होते हुए किला नम्बर 14 में प्रवेश करने हेतु 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए प.न. 161/234 मु.न. 53 किला नं. 14 से उक्तानुसार रकबा कम कर रास्ते के सामने से छोड़कर अप्रार्थी के किला नम्बर 7 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2021 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया